(181)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3275—तीन/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 14—08—2013 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 873/निगरानी/2007—08.

.....

1—रामदरश पटेल तनय अंगद पटेल
2— रामयश पटेल तनय अंगद पटेल
3— ओमप्रकाश पटेल तनय अंगद पटेल
सभी निवासी ग्राम बन्ना महत्मान
तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

मनोज कुमार पटेल तनय रामदरश पटेल
निवासी ग्राम बन्ना महत्मान तहसील
हनुमना जिला रीवा म0प्र0

—— अनावेदक

.....

श्री राकेश कुमार निगम अभिभाषक, आवेदकगण
श्री शिवराज सिंह, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 22/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14—08—2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक मनोज कुमार द्वारा तहसीलदार तहसील हनुमना के प्रकरण कमांक 32/अ—27/07—08 में पारित आदेश दिनांक 26.4.08 द्वारा

बटनवारा का आदेश पारित किया गया था जिससे परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21.5.08 को तहसीलदार के आदेश को कियान्वयन स्थगित किया गया था जिससे परिवेदित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में निगरानीं प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 14.8.2013 को अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वह दोनों पक्षों को सुनवाई कर आदेश पारित करें इससे से दुखित होकर यह गिनरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत की गई है। अपने तर्क में उनके द्वारा बताया गया है कि विवादित आराजी आवेदकगण द्वारा जरिये विक्रय पत्र क्रय की गई थी उपरोक्त विवादित आराजी पुस्तैनी आराजी नहीं है लेकिन तहसीलदार तहसील हनुमना के द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 32/अ–27/07–08 में आदेश दिनांक 26.4.08 को बटवारा कर दिया जबकि उक्त आराजियां जरिये विक्रय पत्र क्रय की गई थी और जिसका नामांतरण आवेदक रामदरश, रामयश, और ओमप्रकाश पटेल तीनों के नाम से क्रय की गई थी, और उनका नामांतरण तीनों निगरानीकर्तागणों के नाम से किया गया था। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि उक्त विवादित आराजियों के सहखातेदार गैर निगरानीकर्ता मनोज कुमार पटेल नहीं था इसलिये उसके द्वारा जो धारा 178 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता का आवेदन प्रस्तुत किया गया था वह नियम विरूद्व था और संहिता के पावधानों के अन्तर्गत प्रचलनशील नहीं था। उनके द्वारा यह भी लेख किया गया है कि तहसीलदार ने आवेदक को उक्त प्रकरण में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया और संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अन्तर्गत "क" एवं "ख" के पत्रक के अनुसार इश्तहार का प्रकाशन नहीं किया गया इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्व था। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.8.13 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अपर आयुक्त रीवा का आदेश विधि प्रकिया से उचित होने से स्थिर रखा जावे उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा अंत में कहां गया है कि आवेदक की निगरानी अस्वीकार की

जावे। तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 14.08.13 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में तहसीलदार हनुमना के प्रकरण कमांक 32/अ–27/07–08 में पारित आदेश दिनांक 26.4.08 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की थी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में अपीलार्थी को सुनकर प्रकरण पंजीवद्व कर धारा 52 के आवेदन पर सुनवाई कर अभिलेख आने तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का कियान्वयन रोकने का आदेश दिया गयाा था । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्थगन आदेश एक पक्षीय रूप से दिया गया हे एवं स्थगन देते समय निगरानीकर्ता को नहीं सुना गया। अतः अनुविभागीय अधिकारी हनुमना का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की है क्यों कि अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई कर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है जो विधि प्रकिया से उचित है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 873/निगरानी/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 14–8–13 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर